महत्वपूर्ण एवं खास

लाईवलीहुड कालेज में निशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ

रायगढ़। रायगढ़ लाईवलीहुड कालेज द्वारा आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार/ स्वरोजगार की संभावनाओं के आधार पर हितग्राहियों को लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका से जोडऩे हेतु शेयर मार्केट एवं एलईडी बनाना कोर्स में नि:शुल्क 15 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके है। हितग्राही की न्यूनतम एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता/ आयु की बाध्यता नहीं है, शेयर मार्केट कोर्स हेतु पेन कार्ड एवं बैंक खाता होना आवश्यक है। प्रशिक्षण पूर्णत: नि:शुल्क होगी। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कालेज, केआईटी कालेज के पास, अग्रसेन आईटीआई के बगल में, उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकते है। अधिक जानकारी के लिए लाईवलीहुड कालेज रायगढ़ में मोबा.नं.97526-58995 एवं 07762-299505 में संपर्क कर सकते है।

ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में निशुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ

रायगढ़। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत जिले के लाईवलीहुड कालेज में संचालित प्रशिक्षण में ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में नि:शुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके है। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 12 वीं कक्षा एवं आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रशिक्षण पूर्णत: नि:शुल्क होगी। जिसके उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार सुनिश्चित करवाया जाएगा। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कालेज, केआईटी कालेज के पास, अग्रसेन आईटीआई के बगल में उड़ीसा रोड गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकते है। अधिक जानकारी हेतु लाईवलीहुड कालेज रायगढ़ में मोबा.नं. 88398-78315 एवं 07762-299505 से संपर्क कर सकते है।

महिला आवेदकों के लिए प्लेसमेंट कैम्प 21 नवम्बर को

रायगढ़। निजी क्षेत्र की रिक्तियों में प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए 21 नवम्बर 2022 को प्रात:10.30 बजे से स्थान-जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प में सिर्फ महिला आवेदक ही सम्मिलित हो सकेंगे। जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से जिन पदों पर भर्ती की जाएगी, इनमें मे.जेएसपी फाउंडेशन (यशस्वी नारी) ओपीजेसीसी पूंजीपथरा रायगढ़ में कम्प्यूटर ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस इक्जीक्यूटिव, ब्यूटीशियन, रूम अटेंडेंट एवं रिटेल के पद पर कुल 350 महिला आवेदकों की भर्ती की जाएगी। उक्त पदों के लिए महिला आवेदकों को 10 वीं कक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा छ.ग.का मूल निवासी होना जरूरी है।

पुरूष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू के दिशा-निर्देशन व सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय पुरूष नसबंदी (बिना चीरा टांका) पखवाड़ा का आयोजन 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2022 तक मनाया जाएगा। परिवार नियोजन भारत सरकार की नीतिगत अनिवार्यता है। परिवार नियोजन में पुरूष की भागीदारी को बढ़ावा देने और नसबंदी तरीको व उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासो के क्रम को बढ़ाते हुए हर साल पुरूष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और सुनिश्चित पुरूष परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जा रही है। जिले के समस्त पात्र हितग्राही जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पूर्व पंजीयन कराकर पखवाड़े को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। पुरूष नसबंदी पखवाड़ा 2022 का आयोजन दो भागो में बांटा गया है। इनमें मोबालाइजेशन फेस-21 से 27 नवम्बर 2022 तक पंजीयन तिथि तथा सर्विस डिलवरी फेस-28 नववम्बर से 04 दिसम्बर 2022 तक आपरेशन सुविधाएं।

इंदिरा नगर तमनार के बंद कमरे अंदर मिला अधेड़ व्यक्ति का शव, तमनार पुलिस ने दो आरोपियों को लिया हिरासत में

- रुपए चोरी की शंका पर युवक व नाबालिग बालिका ने ईंट से सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर की थी व्यक्ति की हत्या
- खून लगे कपड़ो को पॉलीथिन में भरकर फेंका था तालाब में, पुलिस ने तालाब में खोजबिन कर जब्त की कपड़े और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य
- आरोपी युवक को अधेड़ की हत्या और नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म में भेजा गया रिमांड पर
- विधि के साथ संघर्षरत बालिका को भेजा गया बाल किशोर न्यायालय

रायगढ़। दिनांक 16.11.2022 को थाना तमनार के इंदिरा नगर के एक मकान अंदर अधेड़ व्यक्ति का रक्त रंजित शव पड़े होने की सूचना थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे को मिला। थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला हत्यात्मक प्रतीत होने पर थाना प्रभारी तमनार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर मर्ग पंचानामा कार्यवाही कर संदिग्धों की पतासाजी में लग गई, दोनों संदिग्ध युवक और लड़की ग्राम मेढरमार, लैलूंगा से फरार होने की फिराक में थे। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने पर संदेही युवक पीतांबर चौहान (22 साल) अपने चाचा रामकुमार चौहान की हत्या कर घटना का वृतांत बताया।

वहीं घटना के संबंध में कल शाम थाना तमनार में सावित्री नगर में रहने वाली महिला श्रीमति सरस्वती चौहान (40 वर्ष) उसके पति रामकुमार चौहान (45 साल) का उसके भतीजे पीतांम्बर चौहान पिता धरम चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मेढ़रमार थाना लैलूंगा द्वारा हत्या किये जाने की शंका जाहिर कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

रिपोर्टकर्ता श्रीमति सरस्वती चौहान बतायी कि रामकुमार चौहान के साथ समाजिक रीति रीवाज के शादी हुई है, रामकुमार दर्जी का काम करता था जो शराब पीने का आदी था। सरस्वती चौहान बताई कि इनका इंदिरा नगर तमनार में पुराना मकान था जिसे करीबन 3 साल पहले रामकुमार ने शीतल बेहरा तमनार के पास बेच दिया हैं फिर भी उस घर में कभी-कभी रामकुमार आना जाना करता था। बीते गुरूवार के दिन दोनों पति-पत्नी अपने रिस्तेदारी में ग्राम भकुर्रा गये थे। वहां से रविवार को दोनों साथ में मेढरमार, लैलूंगा तक बस में आये। राकुमार बोला कि रिश्तेदार के घर रूककर आउंगा, तब सरस्वती अकेले रायगढ़ के लिये निकल गई और रामकुमार मेढरमार में रूक गया। रामकुमार के पास मोबाइल नहीं था, दिनांक 15.11.22 को कई बार रामकुमार दूसरे के मोबाईल से अपनी पत्नी सरस्वती को कॉल कर बात किया। रामकुमार के साथ के साथ भतीजा पीताम्बर चौहान और उसके साथ आयी एक लड़की भी थी। उसी लड़की के मोबाईल से रामकुमार अपनी पत्नी से बात किया था। दूसरे दिन उस लड़की और पीतांबर के मोबाइल से सरस्वती का बात नहीं हुआ, शाम लगभग 4.00 बजे तमनार में रहने वाली सरस्वती की परिचित भतीजी मोबाइल पर कॉल कर सरस्वती को बतायी कि रामकुमार इंदिरा नगर तमनार में जिस घर में रूका है उसका बाहर से ताला बंद है आवाज देने पर कोई आवाज नहीं आ रहा है। तब जानकारी लेने तमनार इंदिरानगर गई, पडोसी के बाडी तरफ से पीछे के रास्ते अंदर गई तो देखी रामकुमार का शव बगल वाले मकान के दरवाजे के पास पेट के बल पडा था, आसपास के फर्श, दीवाल में खून फैलकर सूखा हुआ था रामकुमार के सिर में चोट का निशान दिखाई दे रहा था। सरस्वती बाई द्वारा उसके पीताम्बर चौहान पर हत्या की शंका किया गया

थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजार मामले में हत्या का अपरध पंजीबद्ध कर संदेही पीताम्बर चौहान एवं उसके साथ रही लड़की की पतासाजी करते हुये दोनों को ग्राम मेढ़रमाल में पकड़े, दोनों कहीं फरार होने की फिराक में थे।

घटना के संबंध में संदेही पितांबर घटना स्वीकार कर अपने मेमोरेंडम में बताया कि वह लैलूंगा क्षेत्र की लड़की को भगाकर साथ रखा था। उसका चाचा रामकुमार गांव मेढ़रमार घर में आया तो बोला कि लड़की को इंदिरा नगर तमनार के पुराने मकान में रखो और रामकुमार के कहने पर तीनों तमनार इंदिरा नगर मकान में आए। 15 नवंबर घटना की रात को चाचा के साथ शराब पिया, चाचा रामकुमार 3,000 रुपए चोरी कर छुपा लिया था, काफी पूछे नहीं बताया। तब लड़की के साथ मिलकर चाचा का हाथ पैर को रस्सी से बांधकर मारपीट पूछे, नहीं बताने पर। दोनों ईट से रामकुमर के सिर में कई बार मारे तब राम कुमार मर गया। घर में सब तरफ खून बिखरा पड़ा था जिसे एक कपड़ा से पोंछे और उस कपड़ा को पॉलीथिन में डालकर तमनार से लैलूंगा भागते समय इंदिरानगर के तालाब में फेंक दिये। आरोपी के मेमोरेंडम पर थाना प्रभारी तमनार द्वारा स्थानीय युवकों की मदद से तालाब में खोजबीन कर कपड़ा को तालाब से सुरक्षित बरामद किया गया है और आरोपी के घर में घटना के समय पहने कपड़े शर्ट, जींस और स्वेटर, पीले रंग की दो रस्सी को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी पीताम्बर चौहान पिता धरम चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मेढ़रमार थाना लैलूंगा एवं विधि के साथ संघर्षरत बालिका को हत्या के अपराध में अभिरक्षा में लिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे, प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा, अनुप कुजूर, देव कुमार राठिया, महिला प्रधान आरक्षक उषारानी, आरक्षक कमलेश राठिया, मुंडन लकड़ा, बसंत कुमार, महिला आरक्षक संगीता राठिया की प्रमुख भूमिका रही है।

आरोपी पितांबर चौहान जिस लड़की (विधि के साथ संघर्षरत बालिका) को लैलूंगा क्षेत्र से 08 नवम्बर की रात बहला फुसलाकर भगा कर लाया था। लड़की के माता-पिता लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना लैलूंगा में दर्ज कराएं हैं। मामले में आरोपी पितांबर चौहान पर अपहरण (धारा 363 आईपीसी) का अपराध दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम द्वारा अपहृत बालिका की दस्तयाबी कर उसके कथन उपरांध मामले में आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एएसपी संजय महादेवा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पर हत्या के अपराध में शीघ्र पकड़े गये विधि के साथ संघर्षरत बालिका को हत्या तथा आरोपी पितांबर चौहान को तमनार के हत्या एवं थाना लैलूंगा के दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

सहायक उप निरीक्षक रेशम लाल साहू उपनिरीक्षक के पद पर हुए पदोन्नत

रायगढ़। पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा द्वारा दिनांक 15.11.2022 को राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ 33 सहायक उप निरीक्षक के उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत आदेश जारी किया गया है जिसमें जिला पुलिस बल रायगढ़ के सहायक उपनिरीक्षक रेशम लाल साहू भी शामिल हैं। पदोन्नत आदेश परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा द्वारा पुलिस कार्यालय में स.उ.नि. रेशम लाल साहू के कंधों पर एक और स्टार लगाकर उन्हें उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की शुभकामनाएं दिया गया। इस दौरान रक्षित निरीक्षक अमरजीत खुंटे, एसपी स्टेनो अशोक देवांगन, प्रभारी मुख्य लिपिक जे.पी.चेलकर, आरक्षक प्रभात प्रधान व अन्य कार्यालयीन स्टाफ मौजूद थे।

दुष्कर्म के आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश

- मंगेतर के साथ प्राईवेट विडियो काल को वायरल कर झारखंड में जा छिपा था आरोपी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा व एसडीओपी खरसिया निमिषा पाण्डेय के मार्गदर्शन पर खरसिया पुलिस दुष्कर्म व यौन शोषण के फरार आरोपी को झारखंड से हिरासत में लेकर खरसिया लाया गया जिसे कल मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, न्यायालय द्वारा पुलिस के न्यायिक रिमांड को स्वीकार किया गया। आरोपी को न्यायालय आदेश पर जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है।

जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर को थाना खरसिया में स्थानीय युवती अपने परिजनों के साथ थाना आकर लिखित आवेदन देकर जिला कोरबा के सूरज सिदार पर उसके साथ किये गये निजी विडियो कॉल को व्हाट्सग्रुप में वायरल कर उसकी छवि खराब किये जाने पर कार्यवाही को लेकर आवेदन दिया गया। आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 509 (ख) आईपीसी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पीड़ित युवती का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पृथक से बयान लेने पर युवती बताई कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में सूरज सिदार मुलाकात हुई थी। दोनो आपस में अपना-अपना मोबाईल नंबर एक दूसरे से शेयर किये थे और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गया। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे, सूरज रीति रिवाज के साथ परिवारवालों की सहमति से शादी करूंगा बोला। तब उसके साथ मोबाइल पर चैटिंग, विडियो काल कर बातचीत करने लगी। उसी दौरान दोनों के बीच कई बार प्राईवेट विडियो काल भी हुआ था, जिसे सूरज रिकार्ड कर रख लिया। दिनांक 12/10/2022 को जब मोबाइल बिजी आया तो सूरज गुस्सा हो गया और कॉल कर गाली गलौच किया जिसे युवती आज के बाद कॉल नहीं करना बोली तो सूरज बताया कि दोनों के विडियो कल को रिकार्ड कर लिया था, जिसे कभी वायरल कर देगा। उसके बाद सूरज कई वाट्सअप ग्रुप में विडियो वायरल कर दिया। युवती अपने बयान में सूरज सिदार शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाना बताई जिस पर प्रकरण में धारा 376 आईपीसी जोड़ा गया। युवती द्वारा अपराध दर्ज कराये जाने की जानकारी पर सूरज अपने गांव से फरार हो गया था। थाना प्रभारी खरसिया आरोपी के परिजनों और दोस्तों से लगातार पूछताछ कर जानकारी ली जा रही थी तथा आरोपी के मोबाइल को सर्विलांस में रखा गया था। आरोपी के झारखंड में छिपे रहने की जानकारी पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर सहायक उप निरीक्षक हेमंत कश्यप, आरक्षक प्रदीप तिवारी झारखंड जाकर आरोपी को हिरासत में लेकर खरसिया लाया गया। आरोपी सूरज सिदार को कल न्यायालय रिमांड बाद जेल दाखिल किया गया है।

डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर

- पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी
- निगम अमला कर रहा दवा का छिड़काव, लोगों को किया जा रहा जागरूक

रायगढ़। डेंगू के मामलों को देखते हुए कलेक्टर रानू साहू ने नगर निगम आयुक्त और सीएमएचओ को प्रभावित इलाकों में रोकथाम के समुचित उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दवा के नियमित छिड़काव के साथ ही लोगों को डेंगू को लेकर जागरूक करने के निर्देश दिए।

डेंगू नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बताया कि रायगढ़ में इस वर्ष अब तक 53 मरीज मिले है जो कि पिछले 5 वर्षो के मुकाबले तुलनात्मक रूप से कम है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम की टीम लगातार कार्य कर रही है। मरीजों के घरों के आसपास एवं वार्ड में डेंगू से बचाव हेतु शहर के प्रत्येक पानी भराव क्षेत्र एवं नालियों में जला मोबिल, मैलाथियान पावडर, मैलाथियान लिक्विड छिड़काव के साथ ही साथ फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है एवं निगम वाहनों के माध्यम से समय-समय पर सघन प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। 10 नग फॉगिंग मशीन के माध्यम से प्रतिदिन 10 वार्डो में सुबह 5 एवं शाम 5 वार्ड में फागिंग कार्य कराया जा रहा है। शहर के मुख्य मार्गो एवं अन्य स्थलों में बरसात के जमा पानी का निकासी का कार्य सफाई कर्मी के माध्यम से किया जा रहा है। जला हुआ मोबिल 48 वार्डो में डलवाया गया एवं मेलाथियान लिक्विड का छिड़काव कराया गया। शहर में जिन स्थानों पर पानी का निकासी नहीं है ऐसे स्थल पर जला मोबिल, टेमीफास्ट एवं मेलाथियान लिक्विड को छिड़काव किया जा रहा है। जिन वार्डो में डेंगू के मरीज पाये जा रहे है उन वार्डो में प्राथमिकता के आधार पर फॉगिंग, दवा छिड़काव एवं विशेष साफ.-सफाई करवाया जा रहा है।

डोर टू डोर पहुंच कर रहे जागरूक, रखनी होगी सावधानी- राजस्व विभाग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन एवं निगम सफाई कर्मचारियों की टीम बनाकर शहर के प्रत्येक वार्डो में घर-घर जाकर घरों में रखे कुलर, फ्रिज, कोटना, गमला आदि को पानी प्रत्येक दिन साफ.-सफाई कर खाली करवाने हेतु समझाईश दिया जा रहा है तथा ज्यादा दिनों तक बुखार रहने पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से जांच हेतु सलाह दिया गया। एसएलआरएम सेंटर के स्वच्छता दीदियों के माध्यम से शहर में डेंगू से बचाव के उपाय की जानकारी दी गई। शहर के प्रत्येक वार्डो में डेंगू से बचाव हेतु जागरूकता लाने के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाने एवं पाम्पलेट बांटने का कार्य किया गया। शहरवासियों को अपने घरों के आसपास साफ.-सफाई रखने एवं कचरा ढककर रखने के साथ-साथ पूरे शरीर ढके हुए कपड़े पहनने की सलाह एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

5 साल के मुकाबले केसेज कम, लेकिन सतर्कता जरूरी- नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष डेंगू के मरीज पिछले 5 सालों की तुलना में कम हैं लेकिन सतर्कता बरती जानी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डेंगू के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की टीम लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 माह के दौरान रायगढ़ जिले से 53 मरीज मिले हैं। इसी अवधि में पिछले सालों को आंकड़े देखें तो 2018 में 129, 2019 में 269, 2020 में 4, 2021 में 124 डेंगू के मरीज मिले थे।

कोतवाली पुलिस की शराब रेड कार्यवाई में 15 लीटर महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 17.11.2022 को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर इंदिरा नगर चौंक पर शराब रेड कार्रवाई किया गया। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मोटर सायकल पर महिला व युवक थैले में शराब रखकर बिक्री के लिये लेकर जा रहे हैं। रेड कार्यवाही दौरान सोल्ड हिरो पैशन प्रो मोटर सायकल पर दो व्यक्ति पकड़े गये। महिला अपना नाम दुर्गा सोनी पति अनिल सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी पूंछापारा रायगढ़ बताई, उसके साथ एक किशोर बालक था। महिला एवं विधि के साथ संघर्षरत बालक से 15 लीटर महुआ शराब कीमत करीब 3,000/- रूपये एवं सोल्ड मोटर सायकल जप्त कर दोनों को सक्षम न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

कृषि विभाग द्वारा नकली कीटनाशक को किया गया जब्त

रायगढ़। उप संचालक कृषि, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बायर कंपनी के नेटियों जो कि फफूंदनाशक है, की नकली पेकिंग करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच दल गठित कर भेजा गया। जांच दल रायगढ़ के बाईपास अटल चौक से लगभग 500 मीटर की दूरी में रायगढ़-सारंगढ़ रोड में संतोषी मंदिर के पास मदन प्रसाद वल्द महादेव प्रसाद के निवास मकान में पहुंचकर जांच किया गया। जिसमें मकान के आगे के एक कमरे में बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी के उत्पाद नेटियों फफूंदनाशक दवा जो किसानों के द्वारा विभिन्न फसलों में फफूंदजनित बीमारी के उपचार हेतु प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, की नकली पेकिंग की सामग्री एवं दवा का भंडार होना पाया गया। उक्त दवा का 500 ग्राम पेकिंग जिसमें लगभग 100-150 ग्राम भरा हुआ 2171 पैकेट, 250 ग्राम पेकिंग जिसमें लगभग 100-150 ग्राम भरा हुआ 511 पैकेट, 190 किलोग्राम खुले बोरे में केमिकल पाउडर एवं एक पेकिंग करने की मशीन एक चम्मच मौके पर बरामद कर जब्त किया गया। उक्त घटना की जांच सुभाष सोनी सहायक संचालक कृषि, संजय सिदार ग्रा.कृ.वि.अ.की उपस्थिति में उसत पटेल जिला कीटनाशी निरीक्षक के द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 कीटनाशी नियम 1971 के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई।

जहां रकबे में हुई है वृद्धि पटवारियों से करवायें सत्यापन -कलेक्टर साहू

- मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश
- कलेक्टर साहू ने धान खरीदी पर ली समीक्षा बैठक

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी के संबंध में वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने धान उपार्जन केन्द्रों में रकबा वृद्धि होने पर समिति प्रबंधकों को पंजीकृत किसानों का सूची निकालकार शीघ्र ही पटवारियों से सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिन उपार्जन केन्द्रों में 100 हेक्टे.से अधिक रकबा वृद्धि हुई है, ऐसे धान उपार्जन केन्द्रों में रकबा वृद्धि के लिए तत्काल जांच हेतु सभी एसडीएम को निर्देशित किया। साथ ही जांच के दौरान किसानों से रकबा समर्पण का सहमति लेने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर साहू ने खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी को उपार्जन केन्द्र के मांग के अनुसार नया एवं पुराने बारदाना उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने अपेक्स बैंक अधिकारी को किसानों का रोस्टर तैयार करने एवं धान की राशि भुगतान करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर साहू ने उप पंजीयक सहकारिता को धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने एवं लापरवाही बरतने पर वाले समिति कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर साहू ने पूर्व वर्षो की भांति धान खरीदी जीरो शार्टेज का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ-साथ जिला विपणन अधिकारी के खरीदी के अनुरूप धान परिवहन कराने एवं जारी डीओ पर तत्काल लोडिंग कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बताया गया धान खरीदी वर्ष 2022-23 में जिले के 7 विकासखण्डों में संचालित 69 समितियों के 99 धान उपार्जन केन्द्रों में कुल 78 हजार 319 कृषकों का 116910.165 हेक्टे.रकबा धान का पंजीयन कराया गया है एवं 21 उपार्जन केन्द्रों द्वारा 1945.20 क्ंविटल धान खरीदी होने की जानकारी दी गई। वर्चुअल बैठक में उप पंजीयक सहकारिता सी.एस.जायसवाल, खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह, अपेक्स बैंक के सहायक नोडल अधिकारी सुनील सोढ़ी, जिला विपणन अधिकारी प्रवीण पैंकरा एवं धान खरीदी से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। **इस साल जिले में खुले 4 नये खरीदी केन्द्र-** कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जिले में इस वर्ष 4 नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले की अनुमति दी गई है। विकासखण्ड धरमजयगढ़ में समिति खडग़ांव के अंतर्गत ग्राम हाटी एवं समिति लारीपानी अंतर्गत ग्राम लारीपानी (स्थल झगरपुर), विकासखण्ड खरसिया में समिति चपले अंतर्गत ग्राम बिंजकोट तथा विकासखण्ड रायगढ़ में समिति कोड़तराई अंतर्गत ग्राम केराझर में नये खरीदी केन्द्र खोले गये है। कलेक्टर साहू ने इन केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए सहकारिता एवं जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित किया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480